10– एजेन्सी को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सभी मैनिफोल्ड के कार्य करने वाले कर्मचारी का नाम ,पूरा पता ,फोटो एवं पुलिस अधिक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा । तत्पश्चात ही एकरारनामा करते हुये कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

11– यदि आपकी निविदा में सलग्न कोई भी अभिलेख गलत/फर्जी या छेड–छाड कर सूचना दिये जाने का मामला पाये जाने पर निविदा/दर अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा, और आपके अग्रधन राशि जब्त करते हुय आपके विरूद्ध हर विधिसम्मत कार्यवाई के लिये अधीक्षक,पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना स्वतंत्र होंगें। इस आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से निविदा में संलग्न करना होगा ।

वित्तीय निविदा

1- वित्तीय में कर सहित प्रति मैनिफोल्ड के संचालन का दर अंकित किया जायेगा जिस पर सरकार द्वारा लागू सेवा कर अलग से देय होगा । इसके अतिरिक्त और कोई राशि देय नही होगी ।

2– वित्तीय निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि मेरे एजेन्सी द्वारा इस दर से कम दर पर किसी भी सरकारी संस्थान में में यह सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है ।

3-- निविदा बिल्कुल कम्पयुटर द्वार सुस्पष्ट रूप से टंकित होगा। हस्तलिखित या ओभरराईटिंग निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा । यह स्वतः रद्द समझा जायेगा ।

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पटना ।

अधीक्षक का कार्यालय,

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना ।

ज्ञापांक– /– पटना दिनांक–

निविदा– सूचना

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना के विभिन्न विभागों,वार्डों ओ0टी0 आकस्मिकी आदि के लिये अधिष्ठापित छः मैनिफोल्डके संचालन/परिचालन हेतु मुहरबंद एवं कम्प्यूटर टंकित निविदा के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात सम्पर्क स्थापित कर कार्यालय समयावधि में प्राप्त कर सकते हैं। इस निविदा संबंधी सभी जानकारियों बेबसाईट www.prdbihar.gov.in/www.pmch.in पर भी देखी जा सकती है ।

ह0/–

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पटना

निविदा शर्त्त

1– पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना के प्रत्येक मैनिफोल्ड को सुचारू एवं नियमित परिचालन हेतु कम से कम दो व्यक्ति प्रति पाली आवश्यक होगा। साथ हीं परिसर में स्थापित सभी मैनिफोल्ड के सुलभ संचालन हेतु एक Technical Engineer 24 x 7 परिसर मे रहना चाहिये ।

2– मैनिंफोल्ड का परिचालन 24 x 7 घंटे किया जायेगा । एक व्यक्ति एक से अधिक पाली में कार्य नहीं करेंगें ।

3– किसी भी परिस्थिति में मैनिफोल्ड का परिचालन बाधित नहीं होगा। मैनिफोल्ड का परिचालन बाधित होने की स्थिति में एजेन्सी को काली सूची में डालते हुये उनपर अपराधिक मुकदमा दायर किया जायेगा । साथ हीं संबंधित माह का भुगतान रोक दिया जायेगा ।

4– एजेन्सी को जी0एस0टी0, सेवाकर विभाग, श्रम विभाग, EPF एवं ESIC में निबंधित होना अनिवार्य होगा, तदनुसार सभी संबंधित अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा । यदि श्रम विभाग EPF एवं ESIC में निबंधित नहीं है वे भी इस शर्त के साथ निविदा में भाग ले सकते है कि कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व उन्हे श्रम विभाग, से EPF एवं ESIC में निबंधित होना होगा ।

5– एजेन्सी को विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

6– एजेन्सी को किसी भी सरकारी अस्पताल/एम0सी0आई द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में कम से कम तीन वर्षो का इस निमित्त कार्य अनुभव प्राप्त रहना अनिवार्य होगा ।

7– तकनिकी निविदा के साथ रू0–1,00,000/–(एक लाख) का बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक,पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना के पक्ष में निर्गत हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8– तकनिकी एव वित्तीय रूप से योग्य पाये जाने वाले एजेन्सी को कार्यादेश के पूर्व रू0–1,00,000/–(एक लाख) का Performation Security जमा करना होगा। उसके पश्चात अग्रधन के रूप में 1,00,000/– जमा राशि वापस कर दिया जायेगा ।

9– एजेन्सी को तकनिकी निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उन्हें या उनके फर्म/एजेन्सी को किसी भी राज्य या संस्था में काली सूची में नहीं डाला गया है।